पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 373/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना-पवईः-दहेज हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण: -

दिनांक 29.08.2024 को वादी थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री जिसकी शादी अवनीश कुमार सिंह पुत्र राममिलन सिंह ग्राम सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 02.12.2022 को किया गया था, लेकिन वादी के पुत्री के ससुराल वालों द्वारा वादी के पुत्री को दहेज के लिए लगातार प्रताडित करना, मारना पीटना व जान से मारने की धमकी दिया जाता था। दिनांक 28.08.24 को अचानक तबियत खराब कहकर वादी की पुत्री को रहस्यमय ढंग से उसके ससुराल वालों द्वारा मार डाला गया इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 300/24 धारा 80(2), 85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बनाम अभियुक्तों 1.अवनीश सिंह पुत्र राममिलन सिंह 2.राममिलन सिंह पुत्र स्व0 धर्मराज सिंह 3. परमीला सिंह पत्नी राममिलन सिंह 4. अराधना सिंह पुत्री राममिलन सिंह निवासीगण ग्राम सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 09.11.2024 को उ0नि0 मनीष मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राममिलन सिंह पुत्र स्व0 धर्मराज सिंह निवासी सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ उम्र करीब 70 वर्ष को चकिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल लिंक रोड के पास से से समय करीब 09.05 AM बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02. थाना-बरदहः- चोरी करने वाला एक अभियुक्त चोरी के एक मोटर साइकिल व दूसरी मोटरसाइकिल बेचने से मिले ₹770 नगद के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.03.24 को वादी मुकदमा अशरफी लाल गुप्ता पुत्र स्व0 रामआसरे गाँव-दुल्हुपुर कला थाना-कटका जि0 अम्बेडकर नगर द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि, दिनांक 27/2/2024 को RAR मैरिज हाल महुजा मोड़ थाना-बरदह आजमगढ में शादी के आयोजन में खाना बनाने के लिए मेरे साथ कारीगर संतोष कुमार पुत्र धर्मराज ग्राम0 जुनेदपुर पोस्ट इन्दईपुर थाना आलापुर जि0 अम्बेडकर नगर अपने मोटरसाइकिल UP45AF3376 से व कारीगर विशाल कुमार पुत्र महेन्द्र प्रसाद निवासी पारीपट्टी पोस्ट अनजान शहीद थाना जीयनपुर आजमगढ मोटर साइकिल UP50U4320 से RAR मैरिज हॉल गए थे, जहां किसी व्यक्ति द्वारा दोनों मोटर साइकिल चोरी कर लिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 63/24 धारा 379 भादवी बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में बरामदगी वह साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनांक 08.12.24 को उप निरीक्षक उमेश चंद्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर समय करीब 17.20 बजे शहीद बाबा मजार बहद ग्राम बरदह से अभियुक्त रवि राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी ग्राम महुजा नेवादा थाना बरदह जनपद आजमगढ को चोरी की एक मोटर साइकिल नं0 UP45AF3376 HF DELUXE व मो0सं0 नं0 UP50U4320 को बेचने से मिले पैसे का शेष बचा 770/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रवि राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासीग्राम महुजा नेवादा थाना बरदह जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण:-

01. एक चोरी की गयी मो0सं0नं0 UP45AF3376 HF DELUXE
02. चोरी की मोटर साइकिल बेचने से मिले पैसे का शेष बचा 770/- रुपया नगद।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 27/2/2024 को RAR मैरिज हाल महुजा मोड़ से 02 मोटरसाइकिल UP45AF3376 व UP50U4320 को चोरी किया था। जिसमें से एक मोटर साइकिल UP50U4320 पहले ही बेच दिया था, तथा बरामद मोटरसाइकिल UP45AF3376 को बेचने के लिए जा रहा था कि पकड़ा गया।

03.थाना- जीयनपुर: 01 नफर वारण्टी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–दिनांक—09/12/2024 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह व उ0नि0 सुभाष तिवारी व उ0नि0जाफर खान मय हमराह द्वारा मा0न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट मु0अ0स0 135/2019 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी आमिर उर्फ नागा पुत्र जुल्फेकार निवासी खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना व सर्विलांस सेल के माध्यम से उसके घर के पास खेत से समय करीब 12.05 बजे हिरासत मे लिया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास- आमिर उर्फ नागा पुत्र जुल्फेकार निवासी खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ

1.मु0अ0स0 315/2018 धारा 380/457/411भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

2.मु0अ0स0 204/2017 धारा 380 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

3. मु0अ0स0 135/2019 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़